



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 331]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

**सा.का.नि. 497(अ).**—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,--

(क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सं.	उद्योग	मापदंड	मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“10क.	अपशिष्ट के सह प्रसंस्करण सहित सीमेंट मानक संयंत्र	क. उत्सर्जन मानक			
		(i) धूर्णक भट्टा – अपशिष्ट सह प्रसंस्करण सहित			
		प्रारंभ की तारीख	स्थान	अधिकतम	सान्द्रता,
		(क)	(ख)	मि.ग्रा./एन.एम. <sup>3</sup> में	
				(ग)	

.सं.	उ ोग	मापदंड	मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
		कणिक य पदाथ (PM)	अधिसूचना क तारीख से ही	देश म कसी भी थान पर	30
			अधिसूचना क तारीख से पूव	1.0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले या उसके 5.0 क.मी. परधि के भीतर ांतिक दूषित ेत्र या शहरी क	30
				ांतिक दूषित ेत्र या शहरी क से भि न	30
		स फर डाई आ साइड (SO <sub>2</sub> )	ारंभ क तारीख को यान म रखे बिना	देश म कसी भी थान पर	100, 700 और 1000, जब चूना-प थर म मशः 0.25% से कम, 0.25 से 0.5% और 0.5% से अधिक पाइराइ टक स फर है।
		नाइ ोजन आ साइड (NO <sub>x</sub> *)	अधिसूचना क तारीख के प चात्	देश म कसी भी थान पर	(1) 600
			अधिसूचना क तारीख से पूव (25.8.2014)	कसी भी थान पर	(2) इन-लाइन कैसिनर े ोगिक सहित रोटरी क न के लिए 800 । (3) आईएलसी, पृथक लाइन कैसिनर (एस एल सी) और स पशन ि-हीटर े ोगिक या केवल एस एल सी े ोगिक या बिना कैसिनर मि ति ीम का उपयोग करते ए रोटरी कलन के लिए 1000 ।
		हाइ ोजन लोराइड		10 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>	
		हाइ ोजन लोराइड		1 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>	
		कुल कार्बनिक कार्बन		10 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>	
		मरकरी और इसके यौगिक		0.05 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>	
कैडमियम +थैलियम और उनके यौगिक		0.05 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>			
एंटीमनी + आर्सेनिक + सीसा + कोबा ट + ोमियम + तांबा + मैगनीज + निकैल + वेनेडियम और उनके यौगिक		0.5 मि. ट./ एन.एम. <sup>3</sup>			
डाइओ सीन और यूरा स		0.1 एनजीटीई यू/ एन.एम. <sup>3</sup>			
		ट पण : सारणी म उपयोग कए गए संेपा र नि नलिखित प म अभिेत हः स फर डाई आ साइड - SO <sub>2</sub> ; नाइ ोजन आ साइड - NO <sub>x</sub> ; हाइ ोजन लोराइड - HCL; हाइ ोजन लोराइड			

.सं. (1)	उ ोग (2)	मापदंड (3)	मानक (4)
			<p>- HF ; कुल कार्बनिक कार्बन – TOC ; मरकरी - Hg ; कैडमियम -Cd ; थैलियम - Tl ; एंटीमनी - Sb ; आर्सेनिक - As ; सीसा - Pb ; कोबा ट – Co ; ोमियम – Cr ; तांबा – Cu ; मैगनीज – Mn ; निकैल – Ni ; वानाडियम – V । ” ;</p> <p>* कणक य पदाथ, स फर डाईआ साईड और नाइ ोजन आ साईड के संबंध म अनुपालन के लिए सांद्रण मान और समय रेखा समय-समय पर यथा संशोधित सा.का.नि. सं. 612 (अ.) तारीख 25 अग त, 2014 ारा काशित अधिसूचना के अधीन उपबंध के अनुसरण म शासित ह े।</p> <p>**अनुज्ञापन ाधिकारी, मामला दर मामला आधार पर अपशि के सह संस्करण के लिए य द कुल कार्बनिक कार्बन का प रणाम नह है, पृथक् मानक को विहित कर सकेगा।</p> <p>(क) येक चिमनी क ऊंचाई, जिसके अंतर्गत खांगर पिसाई संयं , कोयला मिल, अप र कृत मिल, पिसाई, संवेष्टन अनुभाग, आ द भी है, कम से कम 30 मीटर या <math>H = 14 (Q1)^{0.3}</math> और <math>H = 74 (Q2)^{0.27}</math> सूत्र के अनुसार रहेगी, जो भी अधिक हो, जहां H चिमनी क ऊंचाई मीटर म और "Q1" चिमनी के मा यम से स फर डाई-आ साइड SO<sub>2</sub> के अधिकतम उ सर्जन क क. ा./ ति घंटा और "Q2" संयंत्र क मता के 100 तिशत दर पर ढेर के मा यम से PM उ सर्जन टन/घंटा म याशित मा ा है, जो संयंत्र क शत- तिशत रे टग मता पर होगी।</p> <p>ख. मुख्य भ ा ढेर पर स फर आ साईड, नाइ ोजन आ साइड, हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइओ सेन और फयूरोन क मानीटर मान को 10 तिशत आ सीजन के शुष्क आधार पर मानक कृत कया जाएगा और स फर डाईआ साईड, नाइ ोजन आ साइड, हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइओ सेन और फयूरोन के लिए संनियम मुख्य भ ा ढेर को लागू ह े तथा कणक य पदाथ के लिए संनियम संयंत्र म सभी ढेर को लागू ह े। कणक य, स फर आ साईड, नाइ ोजन के.- आ साइड क सतत मानीटरी होगी। हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइओ सेन और फयूरोन क मानटरी वष म एक बार होगी।</p> <p>ग. उ सर्जन के मार्जन के लिए आशयित मार्जक को शमन करने के लिए युक्त नह कया जाएगा। ऐसे संयंत्र, जो मार्जक यूनिट के लिए गैस उ सर्जन हेतु पृथ तः चिमनी रखते ह उसके चिमनी क ऊंचाई कम से कम मुख्य चिमनी क ऊंचाई के समान होगी।</p>
			<p>ख—अपशि ट जल सफाई (बिना संस्करण के)</p> <p>उ ोग के ारा आपूर्ति अपशि ट जल को 'शून्य नि सारण' के लिए सभी यास कए जाएंगे। उ ोग के आपूर्ति अपशि ट जल नि सारण चाहने क दशा म नि नलिखित सनियम का पालन कया जाएगा :</p> <p>अधिकतम सा ता, मि. ा./एन.एम.<sup>3</sup> (pH और तापमान के सिवाय)</p>
		pH	5.5 से 9.0
		निलिबत कण	100
		तेल और ीस	10
		तापमान	1पक जल के तापमान से 5°C से अधिक उ चतर न हो।

सं.	उ ंग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
			ग—वर्षाजल
			(I) वषा जल को बहिः ाव, उपचा रत मल, मार्जक जल और/या तल घुलाई अपजल के साथ मिलाने क अनुमति नह दी जाएगी । (II) उ ंग क सीमा के भीतर वषा जल को पृथक् नालिय ारा वाहित कया जाएगा ।”।

(ख) अनुसूची VI म, साधारण उ सर्जन मानक से संबंधित ‘Part-D’ के अधीन, भार या मा ा आधा रत मानक से संबंधित मद III म, म सं0 10 और उससे संबंधित विटिय के प चात् नि नलिखित म सं यांक और विटियां अंतः थापित क जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
“10क	सीमेंट मानक (बिना संस्करण के)	धूणक भा ा पर आधा रत संयंत्र (अप र कृत मिल, भा ा और पूण खांगर सि टम को साथ चलने से कणक य पदाथ)	खांगर का 0.125 क. ा./टन (01.01.2017 से) ।”।

[फा. सं. यू.-15017/30/2007-सी.पी.ड यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

**ट पण**—मूल नियम भारत के राजप , असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) म का.आ. सं. 844(अ), 19 नवंबर, 1986 ारा काशित कए गए थे और त प चात् अधिसूचना सं. 433(अ), तारीख 18 अैल, 1987 ; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 2 अैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009 ; सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 4 माच, 2009 ; सा.का.नि. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010 ; सा.का.नि. सं. 809(अ), तारीख 4 अ तूबर, 2010 ; सा.का.नि. सं. 215(अ), तारीख 15 माच, 2011 ; सा.का.नि. सं. 221(अ), तारीख 18 माच, 2011 ; सा.का.नि. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 16 माच, 2012 ; सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 30 माच, 2012 ; और सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 31 माच, 2012 ; और सा.का.नि. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012 ; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 18 माच, 2013 ; सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 7 अग त, 2013 ; सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 11 दसंबर, 2013 ; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. सं. 229(अ), तारीख 28 माच, 2014 ; सा.का.नि. सं. 232(अ), तारीख 31 माच, 2014 और सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 25 अग त, 2014 ; सा.का.नि. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014 ; का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दसंबर, 2015 ; का.आ.4(अ) तारीख 1 जनवरी, 2016 ; सा.का.नि. सं. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 281(अ), तारीख 7 माच, 2016 ारा संशोधित कए गए ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th May, 2016

**G.S.R. 497 (E).** – In exercise of powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2016.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-  
(a) in schedule I, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“S. No.	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“10A.	Cement Plant with co-processing of wastes	<b>A- Emission Standards</b>			
		Rotary Kiln – with co-processing of Wastes			
			<b>Date of Commissioning</b>	<b>Location</b>	<b>Concentration not to exceed, in mg/Nm<sup>3</sup></b>
			<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
		Particulate Matter (PM)*	on or after the date of notification (25.8.2014)	anywhere in the country	30
			before the date of notification (25.8.2014)	critically polluted area or urban centres with population above 1.0 lakh or within its periphery of 5.0 kilometer radius	30
				other than critically polluted area or urban centres	30
		SO <sub>2</sub> *	irrespective of date of commissioning	anywhere in the country	100, 700 and 1000 when pyritic sulphur in the limestone is less than 0.25%, 0.25 to 0.5% and more than 0.5% respectively.
		NO <sub>x</sub> *	After the date of notification (25.8.2014)	anywhere in the country	(1) 600
			Before the date of notification	anywhere in the country	(2) 800 for rotary kiln with In Line Calciner

		(25.8.2014)	(ILC) technology. (3) 1000 for rotary kiln using mixed stream of ILC, Separate Line Calciner (SLC) and suspension pre-heater technology or SLC technology alone or without calciner.
		HCl	10 mg/Nm <sup>3</sup>
		HF	1 mg/Nm <sup>3</sup>
		TOC	10 mg/Nm <sup>3</sup> **
		Hg and its compounds	0.05 mg/Nm <sup>3</sup>
		Cd +Tl and their compounds	0.05 mg/Nm <sup>3</sup>
		Sb+As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+V and their compounds	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>
		Dioxins and Furans	0.1 ngTEQ/ Nm <sup>3</sup>
	<p><b>Note:</b> The abbreviations used in the Table shall mean as under: SO<sub>2</sub>- Sulphur dioxide; NO<sub>x</sub> - Oxides of Nitrogen; HCl – Hydrogen Chloride; HF – Hydrogen Flouride; TOC - Total Organic Carbon; Hg – Mercury; Cd – Cadmium; Tl – Thallium; Sb – Antimony; As – Arsenic; Pb – Lead; Co – Cobalt; Cr – Chromium; Cu – Copper; Mn – Manganese; Ni – Nickel; and V - Vanadium.”;</p> <p>* The concentration values and timeline for implementation in respect of PM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> shall be governed in accordance with the provisions under notification published vide GSR No. 612 (E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2014 and amended from time to time.</p> <p>**Permitting authority may prescribe separate standards on case to case basis, if Total Organic Carbon (TOC) does not result from the co-processing of waste.</p> <p>(a) The height of each individual stack connected to Kiln, Clinker Cooler, Cement Mill, Coal Mill, Raw Mill, Packaging section, etc. shall be of a minimum of 30 metres or, as per the formula <math>H = 14 (Q1)^{0.3}</math> and <math>H = 74 (Q2)^{0.27}</math> whichever is more, where “H” is the height of stack in metres and “Q1” is the maximum quantity of SO<sub>2</sub> expected to be emitted in kg/hr and “Q2” is the maximum quantity of PM expected to be emitted in tonnes/hr through the stack at 100 percent rated capacity of the plant;</p> <p>(b) The monitored values of SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans at main kiln stack shall be corrected to 10% Oxygen, on dry basis and the norms for SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans shall be applicable to main kiln stack and the norms for Particulate Matter (PM) shall be applicable to all the stacks in the plant. PM, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> shall be monitored continuously. HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans shall be monitored once in a year;</p> <p>(c) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher and plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be at least equal to the main stack.</p>		
	<p><b>B- Service waste water (with co-processing of wastes)</b> All efforts shall be made by the industry for ‘zero discharge’ of service wastewater and in case, the industry prefers to discharge service wastewater, the following norms shall be complied with:</p>		
		<b>Concentration not to exceed, milligram per litre (except pH and temperature)</b>	
	pH	5.5 to 9.0	
	Suspended Solids	100	

		Oil and Grease	10
		Temperature	not more than 5°C higher than the intake water temperature
		<b>C- Storm water</b>	
		(I) Storm-water shall not be allowed to mix with effluent, treated sewage, scrubber water and or or floor washings.	
		(II) Storm-water within battery limits of industry shall be channelised through separate drain(s).”.	

(b) in Schedule VI, under ‘Part-D’ relating to General Emission Standards, in item III relating to Load or Mass based standards, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“10A	Cement Plants (with co-processing)	Rotary kiln based plants (Particulate Matter from raw mill, kiln and pre-calciner system put together)	0.125 kg/ tonne of clinker.”.

[F. No.- Q-15017/30/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

**Note .-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S.O. 433 (E), dated the 18<sup>th</sup> April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4<sup>th</sup> March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22<sup>nd</sup> July, 2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9<sup>th</sup> September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4<sup>th</sup> October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7<sup>th</sup> August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07<sup>th</sup> May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25<sup>th</sup> August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11<sup>th</sup> November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7<sup>th</sup> December, 2015; S.O.4(E), dated the 1<sup>st</sup> January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14<sup>th</sup> January 2016 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 281 (E), dated the 7<sup>th</sup> March, 2016.